

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन(मुप-2)विभाग

क्रमांक :- प. 19(1)साप/2/2018

जयपुर, दिनांक : 03/09/2018

:- आदेश :-

निम्नांकित अधिकारियों/कर्मचारियों को उनकी चतुर्थ श्रेणी में एफ-श्रेणी (स्वतंत्र) की तरीकानुसार उनके नाम के सम्मुख अंकित राजकीय आवास उनके निवास हेतु नियमानुसार किराये पर राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के प्राधानानुसार निम्नानुसार शर्तों के अधार पर एतद्वारा आवण्टित किया जाता है:-

क्र. सं.	वरीयता संख्या	नाम व पद	सेवानिवृत्ति दिनांक	आवण्टित आवास संख्या
1.	308	श्री दीपक वर्मा स्टेनोग्राफर ग्रेड-1 पारिवारिक न्यायालय, क्रम-1, जयपुर महानगर-प्रथम, जयपुर।	31.08.2035	एफ-450, गांधीनगर (4/142, गांधीनगर (पुराना नं. एफ-923), जयपुर के स्थान पर)
2.	309	श्री मोहन सिंह मीना नर्स ग्रेड-II सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर।	31.10.2028	एफ-69, गांधीनगर (4/108, गांधीनगर जयपुर के स्थान पर)
3.	417	श्री हेमन्त पण्ड्या सहायक अनुभागाधिकारी कार्मिक (ख-3/सुरक्षा) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।	30.11.2048	एफ-70, गांधीनगर (4-ए-18, बहुमंजिला, गांधीनगर जयपुर के स्थान पर)
4.	430	श्री हेमराज शर्मा अनुभागाधिकारी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर।	30.09.2031	एफ 99, गांधीनगर (4/45, गांधीनगर के स्थान पर)
5.	431	श्रीमती मीना कुमारी नर्स ग्रेड-I जे.के.लोन अस्पताल, जयपुर।	30.04.2033	एफ-163, गांधीनगर (4/81, गांधीनगर जयपुर के स्थान पर)
6.	432	श्री वृजमोहन यादव सहायक अनुभागाधिकारी वित्त (समन्वय) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।	30.06.2046	एफ-164, गांधीनगर (4-बी-3, बहुमंजिला, गांधीनगर जयपुर के स्थान पर)
7.	433	श्रीमती शिखा जाटोलिया सहायक प्रोग्रामर कृषि विभाग, कृषि पंत भवन, जयपुर।	31.10.2049	एफ-183, गांधीनगर (4/114, गांधीनगर जयपुर के स्थान पर)
8.	434	श्री दामोदर लाल मीना वाहन चालक राज एयर स्कवा एन सी सी जयपुर।	31.08.2028	एफ-193, गांधीनगर (4/94, गांधीनगर जयपुर के स्थान पर)
9.	435	श्रीमती सरोज यादव नर्स ग्रेड-II महिला चिकित्सालय, सांगानेरी गेट जयपुर।	31.07.2037	एफ-123, गांधीनगर (रिक्त होने की प्रत्याशा में) (4/69, गांधीनगर जयपुर के स्थान पर)
10.	437	श्री देवेन्द्र कुमार शुक्ला सहायक अनुभागाधिकारी कार्मिक (क-5) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।	30.06.2045	एफ-173, गांधीनगर (4/122, गांधीनगर जयपुर के स्थान पर)
11.	438	श्रीमती शहनाज बानो नर्स ग्रेड-II सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर।	30.06.2038	एफ-199, गांधीनगर (4/38, गांधीनगर जयपुर के स्थान पर)
12.	440	श्रीमती बाला कुमारी विशेष अध्यापिका, राज0 सेठ आनन्दी लाल पोद्दार मूक बधिर विद्यालय, जयपुर।	31.07.2047	एफ-200, गांधीनगर (4/127, गांधीनगर जयपुर के स्थान पर)
13.	441	श्रीमती कमला वर्मा, सहायक प्रोग्रामर, मुख्यमंत्री कार्यालय, जयपुर	31.01.2041	एफ-456, गांधीनगर (4/57, गांधीनगर जयपुर के स्थान पर)
14.	442	श्री अंकुर कुमार बंसल कनिष्ठ वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त-ए, जयपुर	31.01.2049	एफ-493, गांधीनगर (4/176 गांधीनगर (पुराना नं.एफ-989), जयपुर के स्थान पर)

शर्त :-

1. आवास का कब्जा आवंटन/रिक्त की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जावेगा।
2. उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
3. सेवानिवृत्ति पश्चात आवास रिक्त करना होगा।

4. जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
5. स्वयं तथा पत्नी/बच्चों के नाम से पदस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जाने / क्रय करने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
6. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी-शैक्ति उक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को राजकीय आवास का आवंटन किया जा चुका है। अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1968 के नियम 11(III)ए के अनुसरण में आदेश प्रसारित होने के आवास रिक्त की तिथि से 8 दिवस में अथवा आवंटन रवीकार करने के असफल रहने की तारीख से 6 माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। 6 माह की समाप्ति पश्चात उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भत्ता यदि उस क्षेत्र में अनुज्ञेय हो तो रोक दिया जायेगा।
7. आवंटी को आवंटित राजकीय आवास का कब्जा देने से पूर्व संबंधित अधिशाषी अभियन्ता को यह घोषणा करनी होगी:-
 1. आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी निरन्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहे है।
 2. आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी के द्वारा कोई स्वयं/पति/पत्नि व उन पर अभिहित किसी अन्य सदस्य के नाम से जयपुर में निजी आवास निर्मित/क्रय नहीं किया है।
8. उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य शर्तें भी मान्य होगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

50

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
डिप्टी चीफ ऑफ प्रोटोकॉल

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. जिला कलक्टर, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, कामिक (ख-1) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटी के कब्जा लेने की तिथि से इनके वेतन से नियमानुसार किराया वसूली को सुनिश्चित करावें।
3. आयुक्त, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटी के कब्जा लेने की तिथि से इनके वेतन से नियमानुसार किराया वसूली को सुनिश्चित करावें।
4. सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, दुर्गापुरा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटी के कब्जा लेने की तिथि से इनके वेतन से नियमानुसार किराया वसूली को सुनिश्चित करावें।
5. निदेशक, कृषि विभाग, कृषि पंत भवन, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटी के कब्जा लेने की तिथि से इनके वेतन से नियमानुसार किराया वसूली को सुनिश्चित करावें।
6. कमाण्डेंट, राज. एयर स्क्वा. एन.सी.सी. जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटी के कब्जा लेने की तिथि से इनके वेतन से नियमानुसार किराया वसूली को सुनिश्चित करावें।
7. अधीक्षक, सवाई मानसिंह चिकित्सालय/जे. के. लोन. चिकित्सालय/महिला चिकित्सालय, सांगानेरी गेट, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटी के कब्जा लेने की तिथि से इनके वेतन से नियमानुसार किराया वसूली को सुनिश्चित करावें।
8. प्रभारी अधिकारी (संस्थापन), पारिवारिक न्यायालय, क्रम-1, जयपुर, महानगर-प्रथम, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटी के कब्जा लेने की तिथि से इनके वेतन से नियमानुसार किराया वसूली को सुनिश्चित करावें।
9. आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटी के कब्जा लेने की तिथि से इनके वेतन से नियमानुसार किराया वसूली को सुनिश्चित करावें।
10. प्रधानाचार्य, राज0 सेठ आनन्दी लाल पोद्दार मूक बधिर विद्यालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटी के कब्जा लेने की तिथि से इनके वेतन से नियमानुसार किराया वसूली को सुनिश्चित करावें।
11. वित्तीय सलाहकार, कामिक (ग) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
12. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, जयपुर शहर/शासन सचिवालय, जयपुर।
13. प्रोग्रामर, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर- कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेब साईट पर अपडेट करने का श्रम करावें।
14. सामान्य प्रशासन (ग्रुप-5) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
15. अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, नगर खण्ड-तृतीय (मुख्यालय), जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि इस आवण्टन पत्र के पीछे दिये गये प्रपत्र की आवश्यक पूर्ति करने के पश्चात् ही आवण्टन की कार्यवाही सुनिश्चित करावें।
16. अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, गांधीनगर जयपुर।
17. अधिशाषी अभियन्ता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, रामबाग सर्किल, जयपुर।
18. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग चौकी, गाँधीनगर, जयपुर-कृपया उक्त आदेश को कार्यालय ब्लेकबोर्ड पर चस्पा करावें साथ ही आवंटी के द्वारा कब्जा लेने/रिक्त दिनांक की सूचना निदेशक सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय जयपुर को भी भिजवाये।
19. संबंधित अधिकारी/कर्मचारी को प्रेषित कर लेख है कि कब्जा लेने से पूर्व इस आवण्टन पत्र के पीछे दिये गये प्रपत्र की अपने स्तर पर आवश्यक पूर्ति कर अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, नगर खण्ड-तृतीय (मुख्यालय), जयपुर को सम्मलवाने के पश्चात् ही कब्जा प्राप्त करेंगे एवं पूर्व आवंटित आवास 7 दिवस में रिक्त कर इस विभाग को सूचित करेंगे।
20. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, साप्रवि।
21. रक्षित पत्रावली।

In 9/9/21

डिप्टी चीफ ऑफ प्रोटोकॉल